एच.पी. राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य

बनाम

रंजीत सिंह व अन्य

(सिविल अपील सं. 7056-7065/2001)

5 मार्च, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

धारा.33-सी(2)-बोनस भुगतान अधिनियम के अंतर्गत दैनिक मजदूरों द्वारा न्यूनतम बोनस प्राप्त करने हेतु आवेदन- अभिनिर्धारितः पूर्व-विद्यमान अधिकार के मामले में दोनों पक्षों के द्वारा ऐसे अधिकारों के अस्तित्व के बाबत करार होना आवश्यक है-यदि सहमति नहीं है तो यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चत किया जाना था-बोनस के हकदार होने के प्रश्न को श्रम न्यायालय द्वारा विनिश्चत नहीं किया जा सकता था-चूंकि उच्च न्यायालय ने (i) धारा 33सी की प्रयोज्यता, (ii) ऐसे मामले को विनिर्णित करने के बाबत श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं (iii) बोनस अधिनियम की दैनिक मजदूरों पर प्रयोज्यता के प्रारंभिक विवाद्यकों को निर्णित नहीं किया गया है, मामला नये सिरे से निर्णय करने हेतु भेजा गया।

प्रत्यर्थी-दैनिक वेतनभोगियों ने बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत न्यूनतम बोनस का दावा करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (2) के तहत आवेदन दायर किया। श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी दावेदारों के पक्ष में निर्णय दिया। पीडित नियोक्ता एच.पी. राज्य विद्युत बोर्ड ने यह अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारितः

1.1 यह मामला दावेदार के राहत के अधिकार से संबंधित है जो कि श्रेणी (i) में आता है जैसा कि सेंट्रल इण्लेण्डस मामले में बताया गया है। इसके अलावा एेसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम न्यायालय केवल दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों पर ही फैसला कर सकता है। बोनस तीसरी अनुसूची में आइटम 5 के रूप में मौजूद है। इसलिए बोनस की पात्रता का प्रश्न श्रम न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता था।

पूर्व विद्यमान अधिकारों के मामले में ऐसे अधिकार के अस्तित्व के बारे में दोनों पक्षों में सहमति होनी चाहिए। यदि कोई असहमति है तो इसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यह मत कि 'देय बोनस' मात्रा से संबंधित है न कि देयता से, भी सही नहीं है। [पैरा 14-15] [1122-E, F, G; 1123-A]

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम कर्मकार व अन्य एआइआर 1974 एस.सी.1604-को माना गया।

1.2 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी(2) की प्रयोज्यता के अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दे यह थे कि दैनिक वेतनभोगियों को बोनस नहीं मिल सकता था और श्रम न्यायालय के पास ऐसे मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अपीलकर्ताओं का यह रुख कि बोनस अधिनियम की धारा 2(11) केवल मासिक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है, पर भी विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, दावा 1977 से 1986 की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन आवेदन काफी बाद 1991 में दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने इन मुद्दों पर विचार नहीं किया है। व्यथा यह भी है कि कुछ मामलों में

कोई ब्याज का दावा नहीं किया गया था, लेकिन श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने 12% की दर से ब्याज की पात्रता को गलत तरीके से तय किया। [पैरा 3,6-8 और 16] [1117-जी, एच; 1118-ए, बी, ई, एफ, जी]

1.3 मामला (i) अधिनियम की धारा 33-सी(2) की प्रयोज्यता, (ii) मामले पर निर्णय लेने के लिए श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने के और (iii) दैनिक वेतनभोगियों पर बोनस अधिनियम की प्रयोज्यता पर विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है; । [पैरा 16] [1123-ए, बी]

यू.पी राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बीरेंद्र भंडारी 2006 (10) एस. सी. सी. 211; भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम चंद्र दुबे और अन्य। [2001] 1 एस. सी. सी. 73 और विजय कुमार बनाम व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड 2007 (13) स्केल 379- संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 7056-7065/2001

हिमाचल उच्च न्यायालय, शिमला के सी.डब्ल्यू.पी.1992 की संख्या 4,5,6/1992, 542, 545, 546, 547, 548 एवं 549/1993 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 30.12.1998 से उत्पन्न।

साथ

सिविल अपील संख्या 8490/2001, 87/2002, 331/2002 एवं 2802/2007

नरेश कुमार शर्मा, संजय सरिन, मंजूषा वाधवा, गगनदीप, अशोक माथुर एवं वाई.प्रभाकर राव, अपीलार्थीगण की ओर से।

अश्विनी गुप्ता, गौरव ढींगरा एवं एम.सी.ढींगरा, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

डा. अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा निर्णय पारित किया गया-

1. इन अपीलों में एक समान प्रश्न शामिल हैं इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जाता है।

2. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.12.1998 के एक सामान्य निर्णय द्वारा कई रिट याचिकाओ का निस्तारण किया है।प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 33-सी(2) के संदर्भ में एक याचिका सुनवाई योग्य है और क्या दैनिक वेतनभोगी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (संक्षेप में 'बोनस अधिनियम') के तहत न्यूनतम बोनस का दावा कर सकते हैं।

3. तथ्यात्मक स्थिति लगभग निर्विवाद है और इसे संक्षेप में नोट करने की आवश्यकता है:

प्रत्यर्थियों को दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित किया गया था। श्रम न्यायालय ने दिनांक 6.7.1991 के आदेश द्वारा माना कि संबंधित आवेदक निर्धारित समय के भीतर न्यूनतम वैधानिक बोनस का भुगतान करने के हकदार थे। यह निर्णय एक संदर्भ पर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक रूख यह थे कि दैनिक वेतनभोगियों को बोनस नहीं मिल सकता था और श्रम न्यायालय के पास ऐसे मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि न्यूनतम बोनस का भुगतान करना

वैधानिक दायित्व था इसलिए अधिनियम की धारा 33 सी(2) के तहत आवेदन विचार योग्य था।

4. अपीलों के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किया:

(i) श्रम न्यायालय को उक्त बिन्दु बाबत निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(ii) बोनस अधिनियम लागू नहीं था।

5. अधिनियम तभी लागू होता है जब संबंधित कर्मचारियों को प्रति माह वेतन या मजदूरी मिलती है। दैनिक वेतनभोगियों को महंगाई भत्ता देय नहीं है। पात्रता तय करने के लिए बोनस अधिनियम की धारा 8 का संदर्भ सही नहीं था। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति साल में 30 दिन काम कर रहा है, इससे वह बोनस का हकदार नहीं हो जाता।

6. अपीलकर्ताओं का यह रुख कि बोनस अधिनियम की धारा 2(11) केवल मासिक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है, पर भी विचार नहीं किया गया है।

7. दावा 1977 से 1986 की अवधि के लिए किया गया था लेकिन आवेदन लंबे समय बाद 1991 में दायर किया गया था। उच्च न्यायालय यह कहने में गलत था कि धारा 22 के तहत एक संदर्भ में केवल मात्रा का निर्णय किया जा सकता है, जबकि दायित्व के प्रश्न का निर्णय नहीं किया जा सकता। धारा 33-सी (2) निष्पादन आवेदन की प्रकृति की है। धारा 33-सी(2) पहले से मौजूद अधिकार से संबंधित है और बोनस के दावे को अधिनियम की धारा 33-सी(2) के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।

8. सिविल अपील संख्या 87/2002, 8490/2001 और 331/2002 में शिकायत यह है कि किसी भी ब्याज के लिए कोई दावा नहीं किया गया था लेकिन लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट ने 12% ब्याज की पात्रता को गलत रूप से निर्धारित किया।

9. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोनस अधिनियम की धारा 10 और 11 न्यूनतम बोनस भुगतान से संबंधित है। बोनस अधिनियम की धारा 22 में 'देय बोनस' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। यह मात्रा से संबंधित है और न्यूनतम व अधिकतम के बीच रहता है।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय था।

10. धारा 33-सी (2) का दायरा और विस्तार इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में जाँचा जा चुका है।

11. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बीरेंद्र भंडारी 2006 (10) एस.सी.सी. 211) में यह कहा गया हैः

"7. जो लाभ धारा 33-सी(2) के तहत लागू किया जा सकता है वह पहले से मौजूद लाभ है या पहले से मौजूद अधिकार से प्राप्त होने वाला लाभ है।

8. भारतीय स्टेट बैंक के मामले में v.राम चंद्र दुबे व अन्य 2001 (1) एस. सी. सी. 73), इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"7. जब किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को कोई प्रश्न न केवल किसी श्रमिक की बर्खास्तगी उचित थी या नहीं अपितु उसे उचित राहत प्रदान करने के लिए भी न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित किया जाता है तो उसके द्वारा इसमें इस प्रश्न की जांच भी शामिल होगी कि क्या संपूर्ण अथवा आंशिक पिछले वेतन के साथ अथवा बिना उसके बहाली होनी चाहिए या नहीं। ऐसा प्रश्न न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए

जाने वाले साक्ष्य के आधार पर तथ्यों में से एक है। यदि रोजगार की समाप्ति के बाद, कामगार को कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित किया जाता है, तो यह विचार किए जाने वाले कारकों में से एक है यह निर्धारित करना कि बहाली पूर्ण पिछले वेतन के साथ या रोजगार की निरंतरता के साथ होनी चाहिए या नहीं। ऐसे प्रश्नों की उचित रूप से केवल एक संदर्भ में जांच की जा सकती है। जब अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ बनाया जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी आकस्मिक प्रश्नों का निर्धारण ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है और इस विशेष मामले में, श्रमिकों को दी जाने वाली राहत की प्रकृति के बारे में ट्रिब्यूनल को एक विशिष्ट प्रश्न भेजा गया है।

8. दोनों पक्षों की और से संदर्भित निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांत निम्न प्रकार से संक्षेपित किये जा सकते हैं-

जब भी कोई कामगार अपने नियोक्ता से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है, जिसकी गणना धन के रूप में की जा सकती है और जिसे वह अपने नियोक्ता से प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे लाभ से वंचित किया जाता है, तो वह धारा 33-सी के तहत श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत लागू किया जाने वाला लाभ आवश्यक रूप से पहले से मौजूद लाभ है या पहले से मौजूद अधिकार से प्राप्त होने वाला लाभ है। एक ओर पहले से मौजूद अधिकार या लाभ और दूसरी ओर उचित माने जाने वाले अधिकार या लाभ के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। पहला अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि दूसरा नहीं आता है। वर्तमान मामले में अवार्ड से यह प्रकट नहीं

होता है कि श्रमिक को ऐसा अधिकार या लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि दी गई राहत का विशिष्ट प्रश्न पिछली मजदूरी के बारे में कुछ भी बताए बिना केवल बहाली तक ही सीमित है। इसलिए उस राहत को अस्वीकार कर दिया गया माना जाना चाहिए, क्योंकि जो दावा किया गया है लेकिन प्रदान नहीं किया गया है उसे न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में अस्वीकार किया जाना माना जाता है। इसके अलावा, जब बकाया वेतन के दावे के निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाना चाहिए। इसलिए इस अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भित कार्यवाही में ही उचित मंच के समक्ष बकाया वेतन के ऐसे प्रश्न पर निर्णय लिया जाना संभव है। यह कहना कि केवल बहाल होने पर एक कामगार, अवार्ड की शर्तों के तहत, अपने सभी बकाया वेतन और भत्तों का हकदार होगा, गलत होगा क्योंकि यह पता लगाने के लिए कि क्या कामगार संपूर्ण बकाया वेतन अथवा किस सीमा तक उक्त बकाया वेतन प्राप्त करने का हकदार है, कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसा कि पहले कहा गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को यह नहीं मानना चाहिए कि पिछला वेतन देने के लिए श्रम न्यायालय का फैसला बहाली की राहत में निहित है या कि बहाली का फैसला खुद ही पिछले वेतन के दावे का अधिकार प्रदान करता है।"

12. उपरोक्त स्थिति को विजय कुमार बनाम व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड (2007 (13) स्केल 379) में भी उजागर किया गया है।

13. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम कर्मकार व अन्य (ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1604) में निम्न अभिनिर्धारण किया गयाः

"13. वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ अनुतोष हेतु प्रस्तुत किये गए राहत के दावे में(i) वादी को राहत का अधिकार; (ii) प्रतिवादी का संबंधित दायित्व, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या प्रतिवादी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है या नहीं; और (iii) प्रतिवादी के दायित्व की सीमा, यदि कोई हो, निर्धारित किये जाने के बाबत जांच सम्मिलित है। राहत देने की दृष्टि से ऐसे दायित्व से निपटना आम तौर पर निष्पादन कार्यवाही का कार्य माना जाता है। उक्त संदर्भित बिन्दु सं.3 जिसमें प्रतिवादी के दायित्व की सीमा कभी-कभी निष्पादन कार्यवाही में निर्धारण के लिए छोड़ी जा सकती है। लेकिन बिन्दु सं. (i) और (ii) के तहत निर्धारण के मामले में ऐसा नहीं है। इन्हें आम तौर पर वाद के कार्यों के रूप में माना जाता है न कि निष्पादन कार्यवाही के रूप में। चूंकि धारा 33(सी)(2) के तहत कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही की प्रकृति में है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए कि उपरोक्त निर्धारण (i) और (ii) की प्रकृति की जांच, सामान्य रूप से, इसके दायरे से बाहर है। यह सच है कि धारा 33(सी)(2) के तहत कार्यवाही में, निष्पादन कार्यवाही की तरह, उस व्यक्ति की पहचान निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, यदि उसे चुनौती दी गई है लेकिन वह महज़ 'आकस्मिक' है। निष्पादन कार्यवाही के लिए निर्धारण (i) और (ii) को 'आकस्मिक' कहना एक विकृति होगी, क्योंकि निष्पादन कार्यवाही जिसमें दायित्व की सीमा की गणना की जाती है, वह निर्धारण (i) और (ii) पर परिणामी होती है और अंतिम राहत की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, जब धारा 33(सी)(2) के तहत श्रम न्यायालय के समक्ष कोई दावा किया जाता है तो उस अदालत को उन सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए जिनके तहत

उसे कार्य करना है। यह बिना अधिकार के भी उन कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता है-एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के रूप में, जो ऊपर उल्लिखित निर्धारण (i) और (ii) की प्रकृति में अकेले निर्णय लेने का हकदार हो या पूर्व को गणना के अपने मुख्य कार्य को 'आकस्मिक' का नाम देकर लाभ की गणना करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में निर्धारण (i) और (ii) गणना के लिए 'आकस्मिक' नहीं हैं। गणना स्वयं औद्योगिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में शुरू हुई प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में निर्धारण (i) और (ii) पर परिणामी और सहायक है। इसलिए, यह स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम आर.एल. खंडेलवाल [1968] 2 एल.एल.जे.589 (एससी) मामले में निर्धारित किया गया था कि कि कोई कामगार किसी ऐसे मामले के संबंध में धारा 33(सी)(2) के तहत आवेदन में दावा नहीं कर सकता है जो मौजूदा अधिकार पर आधारित नहीं है और जो उचित रूप से औद्योगिक विवाद का विषय हो सकता है जिसके लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ की आवश्यकता है।"

14. मौजूदा मामला श्रेणी (i) का है जैसा कि सेंट्रल इनलैंड (सुप्रा) के मामले में बताया गया है।

15. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय केवल दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों का ही निर्णय कर सकता है। "बोनस" दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। दूसरी अनुसूची के आइटम 6 में कहा गया है कि यह तीसरी अनुसूची में शामिल मामलों को छोड़कर सभी मामलों से संबंधित है। "बोनस" तीसरी अनुसूची में आइटम 5 के रूप में मौजूद है। इसलिए, बोनस की पात्रता का प्रश्न श्रम न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता था। पहले से मौजूद अधिकारों के मामले में ऐसे अधिकारों के अस्तित्व के बारे में दोनों पक्षों

के बीच सहमति होनी चाहिए। यदि कोई असहमति है तो इसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यह रुख कि अभिव्यक्ति 'देय बोनस' मात्रा से संबंधित है न कि देयता से, यह भी सही नहीं है।

16. चूंकि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम (i) अधिनियम की धारा 33-सी(2) की प्रयोज्यता और (ii) निर्णय लेने के लिए श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने के लिए और (iii) दैनिक वेतनभोगियों पर बोनस अधिनियम की प्रयोज्यता के मामलो पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

17. खर्चे के संबंध में कोई आदेश किये बिना अपीलें स्वीकार की जाती है।

अपील मंजूर।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।